



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/२०१९/५७४

दिनांक : २९-०६-२०१९

सेवा में,

प्रबन्धक,
अवध किसान महाविद्यालय,
नसरतपुर, अयोध्या।

विषय: महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं के प्रवेश प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अवस्थापना एवं शिक्षक अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों के माध्यम से (विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा) समस्त महाविद्यालयों को दिनांक ३० जून, २०१९ तक शिक्षक अनुमोदित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, अर्थात् संचालित पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित नहीं कराये गये हैं।


अतः आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन सत्यापित न होने के दृष्टिगत आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में सत्र २०१९-२० में प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि उक्त मानक पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो महाविद्यालय के विरुद्ध उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अन्तर्गत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आगामी सत्र (जुलाई, २०२०) से सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
२. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
३. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


कुलसचिव